ग्राम पंचायत चेवा, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.18 से 31.03.19

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) (c) (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत चेवा, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के लेखाओं अवधि 01.04.18 से 31.03.19 तक का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:–

(i) प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती चित्रलेखा	1.4.18 से 31.3.19 तक

(ii) सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री किरण कुमार	1.4.18 से 31.3.19 तक

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 01.04.18 से 31.03.19 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	अनियमितता का सार	पैरा सं0	राशि (₹ लाखों में)
1	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	9 (क से ग) तक	1.60
2	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	10 (क)	6.92

3	निर्माण कार्यों की पूर्णता के पश्चात भी उसी निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्रियों का क्रय एवं Muster rolls का भुगतान करना सम्बन्धी अनियमितता	10 (झ)	2.63
4	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक में गणना/प्रतिष्टियाँ न करना	11 (ख)	6.58

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत चेवा के लेखों अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019 का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट है, श्री पुनीश सागर अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के चेवा स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 07/18 तथा व्यय हेतु माह 03/19 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

प्रमाणित किया जाता है कि इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है। पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत चेवा के लेखाओं अवधि 01.04.18 से 31.03.19 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹7000 आंका गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंकेक्षण शुल्क को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट "क"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत की वर्ष 2018–19 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:–

(क) सामान्य MPH रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2018–19	745776.97	3776046	4521822.97	4064406.16	457416.81
	वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.19 को अन्तशेष				₹457416.81
	बैंक खाता संख्या 05160110081435, यूको कुमारहट्टी/रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.19 को अन्तशेष				₹457416.81
	अन्तशेष में अन्तर				शून्य

(ख) सामान्य रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2018–19	138571.31	3042373	3180944.31	2318428.85	862515.46
	वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.19 को अन्तशेष				₹862515.46
	बैंक खाता संख्या: 101834022000091, JCC, Solan+₹694340 संख्या 05120100000235 यूको कुमारहट्टी=₹1474520.46 संख्या:– 89311100000055, ग्रामीण बैंक बड़ोग=₹206550/रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.19 को शेष जमा =				₹862515.46
	अन्तशेष में अन्तर				शून्य

(ग) 14th वित्त आयोग

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2018–19	759242	1294342	2053584	1102011	951573
	वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.19 को अन्तशेष				₹951573

5 ग्राम पंचायत के गत तीन वर्षों का आय व्यय सम्बन्धी विवरण

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत का गत तीन वर्षों का आय–व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	आय (₹)	व्यय (₹)
2016–17	24712692.50	23356111.50
2017–18	19426702.30	20536757.75
2018–19	9502203.87	9066571.88

6 रोकड़ बही के रख–रखाव सम्बन्धी अनियमितताओं बारे

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही के रख–रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

(i) हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता "क" व खाता "ख") खोले जाने का प्रावधान है अर्थात खाता "क" में पंचायत के स्व–संसधानों से प्राप्त आय तथा खाता–ख में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाया जाना अपेक्षित है, परन्तु पंचायत द्वारा उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल तथा अनुदानों से सम्बन्धित आय–व्यय के लेखांकन हेतु दो रोकड़ बहियों (सामान्य, सामान्य (MPH)) व सुयक्त बैंक खातों (चार खाते) का रख–रखाव किया जा रहा था जोकि अनियमित है।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार उचित रूप से नहीं किया जा रहा था अर्थात रोकड़ बही में कई माहों के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) के नियम 2002 के नियम 7 (1) व (2) के अनुसार रोकड़ शेष सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे तथा रोकड़ बहियों में कुछ प्रतिष्टियों में Cuttings तथा over writings की गई थी जोकि सत्यापित भी नहीं की गई थी।

(iii) हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अनिवार्य है जबकि पंचायत द्वारा यह विवरणी नहीं की तैयार जा रही थी जोकि अनियमित है।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण के दौरान पंचायत के ध्यान में लाई गई थी तथा पंचायत द्वारा पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों (4, 7, 10 तथा 11) में विहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना भी सुनिश्चित किया जाये।

7 सावधि निवेश

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हि0प्र0 पंचायतों राज (वित्त, बजट, सपरीक्षा, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके परन्तु पंचायत द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी जोकि अनियमित है। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या: 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना दर्शाने का आश्वासन दिया गया। अतः उक्त वर्णित नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 अनुदान

(i) निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त अनुदान राशियों का उपयोग न करना

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.19 को सामान्य/सामान्य (MPH) रोकड़ बहियों से सम्बन्धित बैंक खातों में ₹1319932.27 (457416.81 + 862515.46) की राशि शेष जमा थी जिसमें पंचायत को प्राप्त विभिन्न अनुदानों में से अनुपयोग राशियाँ भी सम्मिलित थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया था जिसके कारण जहां अनुदान निधि का अवरोधन हुआ है वहीं ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को निर्धारित अवधि के भीतर व्यय न करने के बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा दिनांक 31.03.2019 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उन को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक) (₹)	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	बकाया गृहकर (₹)
2018–19	557	40 प्रति वर्ष	—	22280	22280	शून्य	22280

(ख) मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क ₹0.05 लाख वसूली हेतु शेष

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत क्षेत्र में दो मोबाईल टावर्स **Relaince Jio infotech** एवं **Bharti Infratel ltd.** द्वारा स्थापित किए गए जिनमें से **Bharti infractel ltd** से नवीनीकरण शुल्क ₹5000 की वसूली नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। इसके अतिरिक्त Depatment of Information Technology, Government of Himachal Pradesh की अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT) 2005 (Misc.)-96 dated 21st June, 2017 के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त **antenna**, जोकि **mobile tower** को **share** करता है, के लिए अतिरिक्त शुल्क वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के 60% के बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है परन्तु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी पंचायत द्वारा अतिरिक्त **antennas** की संख्या एवं अंकेक्षण अवधि के दौरान वसूल अतिरिक्त शुल्क के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा न तो अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव किया गया है तथा न ही कोई अतिरिक्त शुल्क की वसूली की गई थी। उपरोक्त वर्णित पत्र में यह प्रावधान है कि यदि कोई भी मोबाईल कम्पनी वार्षिक नवीनीकरण शुल्क का भुगतान देय तिथि के 30 दिन के पश्चात करती है तो उस स्थिति में सम्बन्धित कम्पनी से 5% प्रति सप्ताह की दर से **penalty** की वसूली की जानी भी अपेक्षित है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) दुकानों के किराए की बकाया ₹1.33 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.19 को दुकानों के किराये की बकाया ₹133000 वसूली हेतु शेष थी जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के

आधार पर ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) शराब उपकर से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण के दौरान ₹316379 शराब उपकर के रूप में प्राप्त हुए थे परन्तु यह राशि किस अवधि से सम्बन्धित थी तथा कितनी बोतलों की बिक्री के एवज में प्राप्त हुई थी इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) आय से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करना

ग्राम पंचायत द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानानुसार फार्म 10 पर मांग एवं प्राप्ति अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण दिनांक 01.04.18 को गृहकर शराब उपकर तथा मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई तथा ऐसी अवस्था में इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अंकेक्षण अवधि से पूर्व इन शीर्षों के अन्तर्गत वसूली हेतु कोई बकाया राशि शेष न हो। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सूचना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त अनियमितताएं अंकेक्षण के दौरान पंचायत के ध्यान में लाई गई थी एवं पंचायत द्वारा पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा इन अनियमितताओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आवश्वासन दिया गया। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 व्यय

(क) नियमानुसार विहित औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना ही ₹6.92 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉफ/स्टोर का क्रय करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है परन्तु व्यय वाचउरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹692068.50 की मदों का क्रय नियमानुसार औपचारिकताओं अर्थात निविदाएं

आमन्त्रित किए बिना ही किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। निम्न प्रकार केवल चयनित मास से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह अनियमितता अंकेक्षण के दौरान पंचायत के ध्यान में लाई गई थी एवं पंचायत ने पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा इन अनियमितताओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया था। अतः उपरोक्त नियमों में प्रावधित औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय किये जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अनियमितता को अब सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों का अनुस्सरण कड़ाई से अनुपालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए:–

रोकड़ बही	माह	वा0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	03/19	133	3304	रिक्शा की रिपेयर
		134	7690	बोर्ड राईटिंग
		135	39507	गटका
		138	22338	रेत एवं बजरी
		139	8400	गटका
		140	18742	रेत एवं बजरी
		144	2811	जलपान
		146	18699	डस्टबीन का क्रय
सामान्य (MPH)	03/19	52	2800	400 सीमेन्ट बैगस को उतारने हेतु भुगतान
		18	30000	Welding कार्य हेतु आंशिक भुगतान
		54 तथा 55	224953	फर्नीचर का क्रय
		56	4000	400 सीमेन्ट बैग्स का किराया
		56	1820	सीमेन्ट बैग्स की loading एवं unloading
		56	2600	260 सीमेंट बेग्स का किराया
मनरेगा	03/19	—	12337.50	रेत

			14962.5	रेत एवं बजरी
			40162.50	रेत एवं बजरी
PMAGY	03/19	7	11287	रेत एवं बजरी
14th FC		55	7100	कूड़े की **dumping** टिप्पर के किराये आदि हेतु
		56	1500	कूड़े की **Loading** तथा **dumping**
		57	2400	**Community hall** की सफाई
		59	23155	**pipes** एवं जाली
		61	13912	रेत एवं पत्थर
		63	17850	रेत एवं पत्थर
		64	17062	रेत एवं पत्थर
		65	22050	रेत एवं पत्थर
		66	7800	कूड़े की **dumping** टिप्पर के किराये आदि है
		67	1500	कूड़े की **Loading** तथा **dumping**
		68	1700	कूड़ा उठाने हेतु खाली बैग्स का क्रय
		69	16537	रेत एवं पत्थर
		70	19425	रेत, पत्थर एवं स्टोन
		73, 74	25856 (12206 + 13650)	रेत एवं पत्थर
		75	6400	स्टोन
		76	3000	**Gate** एवं अन्य सामान
		78	12206 (4331 + 7875)	बजरी एवं रेत
		80	19162	बजरी एवं रेत
		82	5250	रेत
		83	1790	**Railing** के लिए पाईप का क्रय
		कुल योग	**692069**	

(ख) भुगतानों की वास्तविक पावतियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में वर्णित प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए अधिकतम भुगतानों के एवज में वास्तविक पावतियाँ प्राप्त नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावत्तियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतानों की वास्तविक पावत्तियाँ प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आवश्वासन दिया गया।

(ग) आपूर्तिकर्ता को ₹100 का अधिक भुगतान करना

ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल में योग की त्रुटि होने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹100 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है:–

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0/वा0सं0	किया गया भुगतान (₹)	जितना भुगतान बनता था (₹)	अधिक भुगतान (₹)	टिप्पणी/विवरण
सामान्य	03/19	30/144	2811	2711	100	जलपान हेतु किया गया भुगतान (बिल में देय राशि का योग गलत था)

अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹100 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्ति के सन्दर्भ में पत्र संख्याः 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आतश्वासन दिया गया:–

(घ) निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अनियमित रूप से अग्रिम राशि जारी करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संपरीक्षा, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) के नियम 2002 के नियम 107 में वर्णित प्रावधानानुसार पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम राशियाँ **participatory body** या **registered body** के माध्यम से जारी की जानी अपेक्षित है तथा मजदूरी व सामग्री क्रय का भुगतान मस्टर रोल व वास्तविक बिलों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि

निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु व्यक्तिगत रूप से अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी जोकि अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्न अग्रिमों का प्राथमिकता के आधार पर समायोजन करने के अतिरिक्त भविष्य में उपरोक्त नियमों की कड़ाई से अनुपालना करना भी सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्याः 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया:–

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0/वा0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण	विवरण
सामान्य	03/19	30/138 से 141	70500	रेत, बजरी, muster roll	₹70500 में से अग्रिम ₹61500 का समायोजन किया गया था। (35000 (25.6.18) +20000 (20.7.18) + 6500 (25.7.18))
14^{th}	03/19	45/73 से 77	74188	रेत, बजरी, muster roll	₹74188 में से अग्रिम ₹63000 का समायोजन किया गया था। (48000 (10.01.19) + 5000 (14.1.19) + 10000 (07.03.19))
	03/19	45/78 से 79	41732	रेत, बजरी, muster roll	41732 में से अग्रिम राशि ₹27208 का समायोजन किया गया था (17208 (14.2.19) + 10000 (20.02.19))
	03/19	45/82 से 84	22570	रेत, बजरी, muster roll	₹22570 में से अग्रिम ₹12600 का समायोजन किया गया था (12600 (16.3.19))

(ङ) वित्तीय नियमों के प्रतिकूल ₹1000 से अधिक का भुगतान नकद राशि में करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 के अनुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है जबकि निम्न प्रकरणों में ग्राम पंचायत द्वारा ₹1000 से अधिक का भुगतान नकद राशि में किए गए थे जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्ति के सन्दर्भ में पत्र संख्याः 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आवश्वासन दिया गया।

रोकड़ बही	माह	वा0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गइ सेवा का विवरण
सामान्य	03/19	133	3304	रिक्शा की रिपेयर
सामान्य (MPH)	03/19	134	7690	बोर्ड राईडिंग
		146	18699	डस्टबिन का क्रय
		43	179000	मस्टर रोल (ठेकेदार को चैक जारी किया गया जबकि मजदूरी से सम्बन्धित राशि को प्रत्येक मिस्त्री/मजदूर के खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित था)
		56	4000	400 बैग्स सीमेन्ट का किराया
		56	1820	Loading तथा unloading का भुगतान
		56	2600	260 बैग्स सीमेन्ट का किराया
14th FC		76	3000	गेट एवं अन्य सामान का क्रय

(च) जलपान व्यय ₹2811 से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख/सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

चयनित माह 03/19 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि ₹2811 (रोकड़ बही सामान्य, पृष्ठ संख्या 31, वाउचर संख्या 144) का भुगतान जलपान हेतु किया गया था, परन्तु वाउचर में जलपान व्यय का उद्देश्य एवं वितरण सूची बारे स्पष्ट किया गया था और न ही अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया गया था जिसके अभाव में व्यय का पूर्ण

अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अब इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आवश्वासन दिया गया।

(छ) रिक्शा मुरम्मत पर व्यय ₹3304 का औचित्य स्पष्ट न करना

चयनित माह 3/19 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि ₹3304 (रोकड़ बही सामान्य, पृष्ठ संख्या 29, वाउचर संख्या 133) का भुगतान रिक्शा मुरम्मत हेतु किया गया था जिसके सन्दर्भ में मौखिक चर्चा के दौरान पंचायत द्वारा अवगत करवाया गया कि यह रिक्शा कूड़ा उठाने के कार्य हेतु उपयोग की जाती है तथा यह पंचायत की सम्पति है परन्तु कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी सम्बन्धित सम्पति पंजिका अंकेक्षण को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में उक्त व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव हो सका। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना जाये। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आवश्वासन दिया गया।

(ज) श्री सौरभ गुप्ता को ₹0.83 लाख के अंशदान की वापसी करने का औचित्य स्पष्ट न करना

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को मौखिक रूप से अवगत करवाया गया कि निर्माण कार्य "**C/O retaining wall near gupta house**" के निष्पादन हेतु ₹82700 जन साधारण से अंशदान के रूप में खण्ड विकास कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुए थे परन्तु वर्णित राशि का उक्त निर्माण कार्य में उपयोग न होने के कारण इसे श्री सौरभ गुप्ता को (रोकड़ बही सामान्य, पृष्ठ संख्या 30, वाउचर संख्या 137) को वापिस कर दिया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार अनुपयोग राशि का वापिस भुगतान भी खण्ड विकास विकास कार्यालय को ही किया जाना अपेक्षित था जिस माध्यम से यह अंशदान प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी ऐसा कोई अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकी कि यह राशि श्री सौरभ गुप्ता ने अंशदान के रूप में जमा करवाई गई थी। अतः इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹82700 की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी

अवगत करवाया जाये। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आवश्वासन दिया गया।

(झ) पूर्ण निर्माण कार्यों पर ₹2.63 लाख का संशय पूर्ण व्यय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों की पूर्णता के पश्चात भी निम्नलिखित पूर्ण निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्रियों का क्रय एवं **muster rolls** में श्रम कार्य करवाया गया था जोकि संदिग्ध प्रतीत होने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसे में राशि के दुर्विनियोजन होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 31.12.19 द्वारा वर्णित अनियमितता पंचायत के ध्यान में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी तथा पंचायत ने पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति से अवगत करवाए जाने का आवश्वासन दिया गया था। अतः वर्णित प्रकरण की पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹262910 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये:—

रोकड़ बही	निर्माण कार्य का शीर्ष/स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	माप पुस्तिका के अनुसार निर्माण कार्य के आरम्भ एवं समाप्त होने की तिथि/प्रविष्टि की तिथि	जिस तिथि को निर्माण सामग्री का क्रय किया गया	बिल की राशि (₹)	मस्ट्रोल की अवधि	मस्ट्रोल की राशि (₹)
सामान्य	खाता निर्माण सड़क चेवा से गाँव चेवा तक/ ₹100000	(12977/5861) /27 से 28	11.12.18/25. 01.19/25.03. 19	बिल संख्या 77 दिनांक 17.02.19	39507	माह 02/19	62484
PMAGY	निर्माण सड़क खौल जाशली ₹80000	(12977/5861) /25 से 27	1.4.17/30.4. 17/27.11.18	बिल संख्या 46 दिनांक 27.6.18	11287	मस्ट्रोल सं0 अंकित नहीं (माह 07/18)	32378
14^{th} FC	खाता रख–रखाव रास्ता नन्द लाल के घर तक ₹30000	(2231/1998)/ 30	16.2.19/28.2. 19/28.3.19	———	———	मस्ट्रोल सं0 अंकित नहीं (माह 03/19)	10362
	खाता रख–रखाव रास्ता दाबली ₹100000	(2231/1998) 25 से 26	24.1.19/5.2. 19/3.3.19	बिल संख्या 72 दिनांक 4.2.19 (निर्माण सामग्री का क्रय निर्माण कार्य की समाप्ति से एक दिन पूर्व किया गया था)	17850	मस्ट्रोल सं0 अंकित नहीं (माह 03/19)	19458

	खाता नि0 बावड़ी खील बरसेर ₹80000	(2231/1998) 32 से 33	25.1.19/3.3.19/28.3.19	बिल सं0 80 दिनांक 3.3.19 (निर्माण सामग्री का क्रय निर्माण कार्य की समाप्ति की तिथि को किया गया था)	19425	——	——
	खाता नि0 बावड़ी काठी की धाली ₹100000	(2231/1998) 26 से 28	5.11.19/15.2.19/15.3.19	बिल संख्या 1421 दिनांक 17.02.19 (गेट)	3000	——	——
	खाता रख–रखाव खेल मैदान रा0प्रा0पा0 उदयपुर ₹70000	(2231/1998) 31	27.1.19/4.2.19/27.3.19	बिल संख्या 82 दिनांक 05.03.19	4331	——	——
	खाता रख–रखाव खेल रास्ता गाँव धबोटा ₹100000	(2231/1998) 29	25.2.19/20.3.19/28.3.19	——	——	मस्ट्रोल सं0 अंकित नहीं (माह 03/19) (1 से 27.0.19) तक	42828
				योग	95400	——	167510
				कुल योग		262910 (95400 + 167510)	

(ञ) अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जोकि अनियमित है क्योंकि इसके अभाव में लेन–देन का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 4 दिनांक 31.12.19 द्वारा यह अनियमितता पंचायत के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई गई थी तथा पंचायत ने पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया था। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये:–

- 41 -

रोकड़ बही	माह	निर्माण कार्य का शीर्ष	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
14th	03/19	खाता रख–रखाव खेल मैदान रा0प्रा0पा0 कुमारहट्टी	50000	आकलन, माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई
सामान्य	03/19	खाता रख–रखाव रास्ता पट्टा मोड़	100000	यथोपरि
PMAGY	03/19	खाता निर्माण गाँव खीलजाशली	80000	स्वीकृति, आंकलन, माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई
सामान्य (MPH)	03/19	खाता additional facilities to multi purpose hall (हिम्मतपुर दाबली, VMJS)	7118000	आंकलन, TS, माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई
	03/19	निर्माण for way side aminities for users of NH5 (हिम्मतपुर दाबली, Commen pool)	3500000	आंकलन, TS, माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई
मनरेगा	03/19	C/O pucca floor urine tank & fooder trough for cattle shed Deveder S/O chain Singh village Kalawan	35000	सम्बन्धित माप पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई
	03/19	C/O pucca floor urine tank & fooder trough for cattle shed sohan lal S/O devi ram haripur	35000	–यथोपरि–
	03/19	C/O RTWHT jeet ram S/O durgu ram vill kheellbarser	100000	–यथोपरि–

(ट) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख का नियमानुसार उचित रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी **(material consumption statement)** नहीं बनाई जा रही थी तथा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी **register of technical checks and technical sanctioned estimates (Form-310)** अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में विहित प्रावधानानुसार उपरोक्त रजिस्टर (फार्म–310) का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा वर्णित पंजिका का रख–रखाव ही नहीं किया जा रहा था। इस सन्दर्भ में पंचायत ने पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.19 द्वारा अपेक्षित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया। अतः अब अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव सुनिश्चित करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(ठ) नियमानुसार विहित औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ₹0.50 लाख का अनियमित व्यय करना

(क) व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह 03/19 में निर्माण कार्यों के निष्पादन में जेसीबी का उपयोग करने हेतु ठेकेदार को ₹50000 का आंशिक भुगतान (रोकड़ बही समान्य **MPH**) वाउचर संख्या 42, कुल देय ₹330000 किया गया था परन्तु जेसीबी **hire** करने हेतु कोई भी निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि (वित्त बजट, लेखें, सपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (5) के अनुसार ₹1000 तथा ₹50000 से अधिक के कार्य/क्रय हेतु क्रमशः कोटेशन **(Quotations)** तथा निविदाएं **(Tenders)** आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जेसीबी से निष्पादित निम्नलिखित कार्यों के माप की सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियाँ भी अंकेक्षण में नहीं दर्शाई गई जिसके अभाव में वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त माप पुस्तिका भी सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करनी सुनिश्चित की जाये।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त संविदाकारों को भुगतान करने से पूर्व निर्माण कार्यों बिलों से निम्नलिखित वैधानिक कटौतियां भी नहीं की गई थी जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है:–

(i) आयकर 1%

(ii) CGST (1%) ,oa SGST (1%)

(iii) प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशि 10%

(iv) लेबर सैस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा देय राजस्व की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी वैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही संविदाकारों को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 स्टोर/स्टॉक

(क) प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करवाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेंखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46 दिनांक 30.11.19 तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 1 दिनांक 27.12.19 द्वारा एवं कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी यह जानकारी सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करवाया ही नहीं जा रहा है जोकि गम्भीर अनियमितता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह अनियमितता पंचायत के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अभी तक इस सन्दीं में अपेक्षित कार्यवाही न करना ग्राम पंचायत की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है। अतः वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से दर्शाने का आश्वासन दिया गया।

(ख) ₹6.58 लाख की क्रय स्थाई एवं अस्थाई भण्डार मदों की स्टॉक रजिस्टर में गणना/प्रविष्टियाँ न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार क्रय स्थाई एवं अस्थाई भण्डार मदों की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितता की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है:–

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	वा0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा विवरण
सामान्य	03/19	29, 30 एवं 31	133	3304	रिक्शा की रिपेयर
			134	7690	बोर्ड राईटिंग एवं क्रय
			135	39507	गटका
			138	22338	रेत एवं बजरी
			139	8400	गटका
			140	18742	रेत एवं बजरी
			145	282	स्टेशनरी
			146	18699	डस्टबीनस
सामान्य (MPH)	03/19	78 एवं 79	18	30000	Welding कार्य हेतु आंशिक भुगतान (बिल की कुल राशि ₹249474)
			54 तथा 55	224953	फर्नीचर का क्रय
मनरेगा	03/19	——	——	12337.50	रेत एवं बजरी
				14962.50	रेत एवं बजरी
				40162.50	रेत एवं बजरी
PMAGY	03/19	54	7	11287	रेत एवं पत्थर
14^{th} FC		43, 44 एवं 45	59	23155	पाईप एवं जाली
			61	13912	रेत एवं पत्थर

-45-

			63	17850	रेत एवं पत्थर
			64	17062	रेत एवं पत्थर
			65	22050	रेत एवं पत्थर
			68	1700	खाली बेग्स का क्रय
			69	16537	रेत एवं पत्थर
			70	19425	रेत, पत्थर एवं स्टोन
			72	354	DSC device
			73, 74	25856 (12206 + 13650)	रेत एवं पत्थर
			75	6400	स्टोन
			76	3000	Gate with material
			78	12206 (4331 + 7875)	बजरी एवं रेत
			80	19162	बजरी एवं रेत
			82	5250	रेत
			83	1790	पाईप
			योग	**6583741**	

अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, संपरीक्षा लेखें, संकर्म, कराधान व मत्ते) नियम 2002 के नियम 69 में वर्णित प्रावधानानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना दर्शाने का आवश्वासन दिया गया।

(ग) निर्माण कार्यों हेतु ₹1.08 लाख के 400 सीमेन्ट बैग को एक मुश्त जारी करने सम्बन्धी अनियमितता

ग्राम पंचायत द्वारा ₹107600 के 400 बैग सीमेन्ट (रोकड़ बही सामान्य MPH) वाउचर संख्या 51 पृष्ठ संख्या 78) दिनांक 06.02.2019 को क्रय किया गया था तथा अंकेक्षण में पाया

गया कि स्टॉक रजिस्टर में उक्त सीमेन्ट बैग को एक मुश्त जारी करके सीमेन्ट का शेष शून्य दर्शाया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार समय–2 पर सीमेन्ट बैग को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु जारी किया जाना अपेक्षित है ताकि किसी दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके। अतः इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा प्रमाणित किया जाए कि जारी सीमेन्ट बैग का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **विविध**

(क) रसीद बुक पंजिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण द्वारा कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी रसीद बुक पंजिका अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो वर्णित पंजिका का रख–रखाव ही नहीं किया जा रहा है या फिर इसे अद्यतन (**update**) नहीं किया गया था। रसीद बुक पंजिका का नियमित रूप से रख–रखाव न करने के कारण वित्तीय अनियमितता की सम्भावना बनी रहती है। अतः इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा रसीद बुक पंजिका अद्यतन (**updates**) करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, कराधान व भत्ते) के नियम 2002 के नियम 5 में विहित प्रावधानों का पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या: 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना दर्शाने का आश्वासन दिया गया।

(ख) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करना

चयनित मासों के व्यय वाउचरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित/पारित किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि पंचायती राज (वित्त, बजट, संपरीक्षा, संकर्म, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। निम्न प्रकरणों के बिलों पर तो किसी भी सक्षम प्राधिकारी के पारित आदेश दर्ज नहीं थे। अतः वर्णित अनियमितता के बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। भविष्य में प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर करने के

उपरान्त ही समस्त भुगतानों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना दर्शाने का आश्वासन दिया गया:—

रोकड़ बही	माह	राशि (₹)	विवरण
मनरेगा	03/19	14962.50	रेत एवं बजरी का क्रय
	03/19	40162.50	—यथोपरि—
	03/19	12337.50	—यथोपरि—

(ग) मस्टर रोल के रख–रखाव सम्बन्धी अनियमितताएं

कई बार मौखिक आग्रह के पश्चात भी मस्टर रोल रजिस्टर अंकेक्षण में अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि व्यय वाउचरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मस्टर रोल (सामान्य रोकड़ बही से सम्बन्धित) पर न तो निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अपेक्षित विवरण (मस्टर रोल संख्या, जारी किए जाने की अवधि आदि) भरा जा रहा था तथा न ही निर्माण कार्य के पूर्ण तथा निष्पादित होने बारे निर्माण समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे व इसकी अपेक्षा केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापन किया गया था और इसके अतिरिक्त मस्टर रोल पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा कार्य का मूल्याकन भी दर्ज नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए मस्टर रोल रजिस्टर अद्यतन तथा अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना दर्शाने का आश्वासन दिया गया।

(घ) नियमानुसार विहित रजिस्टरों के रख–रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, संपरीक्षा, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28), **miscellaneous demand and collection register** (फार्म–10) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर (फार्म–9) **register of bills received** (फार्म–13), **Stock register of non consumable articles** (फार्म–25), **stock register of consumable articles oher than stationary and printed material** (फार्म–26), माप पुस्तिका रजिस्टर, रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर इत्यादि कई बार मौखिक आग्रह के उपरान्त भी

अवलोकन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जोकि अनियमित है। अतः इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वर्णित अभिलेख/रजिस्टर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में उपरोक्त रजिस्टरों का नियमानुसार नियमित रूप से रख–रखाव तथा अद्यतन **(update)** किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना दर्शाने का आश्वासन दिया गया।

(ङ) नियमानुसार विहित प्रपत्र पर बजट प्राकलन (budget estimate) तैयार व पारित न करवाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, संपरीक्षा लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 में वर्णित प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जा रहा था। पंचायत द्वारा बजट प्राकलन केवल कार्यवाही पंजिका में ही बनाए गए थे जबकि यह नियमानुसार विहित फार्म "11" पर बनाए जाने अपेक्षित है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट प्राकलन विहित फार्म "11" पर निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किए जाये। ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्याः 1 दिनांक 27.12.19 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना दर्शाने का आश्वासन दिया गया।

(च) अंकेक्षण को व्यय का पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न करना

(i) व्यय वाउचरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत के टेलीफोन बिल वाउचर नस्ति (माह 03/19) में उपलब्ध नहीं थे केवल भुगतान (रोकड़ बही सामान्य 1200 तथा ₹1040, पृष्ठ संख्या 142 एवं 143) से सम्बन्धित रसीदें ही उपलब्ध थी। इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में वाउचर नस्ति में बिल तथा रसीदें दोनों उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) अंकेक्षण के दौरान ₹354 (रोकड़ बही 14[th] FC, वाउचर संख्या 45, पृष्ठ संख्या 72) के भुगतान से सम्बन्धित वाउचर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः आगामी अंकेक्षण पर अपेक्षित अभिलेख आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण आपत्तियों के सन्दर्भ में पत्र संख्या 138 दिनांक 31.12.2019 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना दर्शाने का आश्वासन दिया गया।

— 49 —

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:**— विवरणिका यहां अलग से जारी नहीं की गई अपितु सभी लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

14 **निष्कर्ष:**— खातों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(हिमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

1042—1045 13 MAR 2020

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(4) 50/2020 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन जिला सोलन, हि0प्र0।
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत चेवा, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को इस आशय के
साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

13 MAR 2020

(हिमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट-(क) (पैरा संख्या 4 के संदर्भ में) (22)

ग्राम पंचायत चेवा, विकास खंड सोलन, जिला सोलन, हि०प्र०| — 50 —

वित्तीय स्थिति सामान्य" MPH" रोकड़ बही (01/04/2018 to 31/03/2019) |

Year	आरंभिक शेष (र०)	प्राप्ति (र०)	कुल योग (र०)	भुगतान (र०)	अंतिम शेष (र०)
2018-19	745776.97	3776046	4521822.97	4064406.16	457416.81
	बैंक खाते (संख्या= 05160110081435, UCO, कुमारहट्टी) / रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = 457416.81 /-(1)				
	बैंक खाते(संख्या= 05160110081435, UCO, कुमारहट्टी) / रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = 457416.81/-(2)				
	अंतर = शून्य (2-1)				

वित्तीय स्थिति सामान्य रोकड़ बही (01/04/2018 to 31/03/2019) |

Year	आरंभिक शेष (र०)	प्राप्ति (र०)	कुल योग (र०)	भुगतान (र०)	अंतिम शेष (र०)
2018-19	138571.31	3042373	3180944.31	2318428.85	862515.46
	बैंक खाते (संख्या:- 101834022000091, JCC, Solan= 694340, संख्या:- 05120100000235, UCO, कुमारहट्टी= 147520.46, संख्या:- 89311100000055, ग्रामीण बैंक बड़ोग= 206550 / रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = 862515.46/---(1)				
	बैंक खाते (संख्या:- 101834022000091, JCC, Solan= 694340, संख्या:- 05120100000235, UCO, कुमारहट्टी= 147520.46, संख्या:- 89311100000055, ग्रामीण बैंक बड़ोग= 206550 / रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = 862515.46/---(2)				
	अंतर = शून्य (2-1)				

वित्तीय स्थिति 14th वित्तीय आयोग रोकड़ बही (01/04/2018 to 31/03/2019) |

Year	आरंभिक शेष (र०)	प्राप्ति (र०)	कुल योग (र०)	भुगतान (र०)	अंतिम शेष (र०)
2018-19	759242	1294342	2053584	1102011	951573
	बैंक खाते (संख्या= 50100206726611, HDFC, धर्मपुर)/ रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = 951573/-(1)				
	बैंक खाते(संख्या= 50100206726611, HDFC, धर्मपुर) / रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = 951573/-(2)				
	अंतर = शून्य (2-1)				

वित्तीय स्थिति Water shed रोकड़ बही (01/04/18 to 31/03/19)

Year	आरंभिक शेष (र०)	प्राप्ति (र०)	कुल योग (र०)	भुगतान (र०)	अंतिम शेष (र०)
2018-19	9362	410548	419910	416147	3763
	बैंक खाते (संख्या= 101834029100020, JCC, सोलन)/ रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = 3763/-(1)				
	बैंक खाते(संख्या= 101834029100020, JCC, सोलन) / रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = 3763/-(2)				
	अंतर = शून्य (2-1)				

वित्तीय स्थिति मनरेगा (01/04/2018 to 31/03/2019) |

Year	आरंभिक शेष (र०)	प्राप्ति (र०)	कुल योग (र०)	भुगतान (र०)	अंतिम शेष (र०)
2018-19	0	485968.87	485968.87	485968.87	0

वित्तीय स्थिति PMAGY (01/04/2018 to 31/03/2019) |

Year	आरंभिक शेष (र०)	प्राप्ति (र०)	कुल योग (र०)	भुगतान (र०)	अंतिम शेष (र०)
2018-19	183747	495863	679610	679610	0
	बैंक खाते (संख्या= 10834029100012, JCC, सोलन)/ रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = शून्य -(1)				
	बैंक खाते(संख्या=10834029100012, JCC, सोलन) / रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31/03/19 को शेष = शून्य -(2)				
	अंतर = शून्य (2-1)				

प्रमाणित किया जाता है कि :-

(i) ग्राम पंचायत में उपरोक्त के अलावा किसी भी अन्य रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया है |

(ii) ग्राम पंचायत में उपरोक्त बैंक खातों के अलावा किसी भी अन्य बैंक खाते का रख रखाव नही किया गया है |

(iii) मनरेगा से संबन्धित किसी भी रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक का रखाव नही किया गया है |

सचिव
ग्राम पंचायत चेवा
विकास खण्ड सोलन
जिला सोलन (हि.प्र.)

(Performa "A")

Detail relating to Gram panchayat Chewa.

Block Development Office, Solan, District Solan, H.P.

(1) Detail of office holders during 01/04/2018 to 31/03/2019.

Name of Pradhan	Period	Name of Panchayat Secretary.	Period.
Smt Chitterlekha	23.01.2016 से जारी	Kiran Kumar	8-10-2010 से जारी

पैरा संख्या 9 (घ) के संदर्भ में परिशिष्ट (ख)

(2) Detail of fee/amount received.

Year	Wine tax (शराब उपकर) received.	Land revenue (भू राजस्व) received.	Other fee/amount received.
2018-19	316379.00	170911 LBP 24.7.2018 / 14546 CAP 27 जारी / 111-00 (CBP 13 Dt 11.9.2018)	

(3) Detail of unadjusted advances as on 31/03/2019 and interest earned during audit period.

Name and designation to whom advance has been given.	Purpose for which advance is given	Amount of advance.
—	— -NIL-	—

(4) Detail of annual budget passed.

Year	Date of passing of annual budget.	Resolution no.
2018-19	07-01-2018	RNo. 6

सचिव
ग्राम पंचायत छेवा
विकास खण्ड सोलन
जिला सोलन (हि.प्र.)

पैरा संख्या 9 (ग) के संदर्भ में ~~परिशिष्ट-स~~ (13)

53

Shop Rent GP Chewa 2018-19

No of Shops	10						
Sr No	**Details of Shops**	**monthly Rent**	**Due During 4/2018 to 3/2019**	**Previous Due**	**Total Due**	**collection During the year**	**Balance**
1	1 and 2	11000	132000	0	132000	99000	33000
2	3	5000	60000	0	60000	5000	55000
3	4	5000	60000	0	60000	30000	30000
4	5	3500	42000	0	42000	42000	0
5	6	3300	39600	0	39600	39600	0
6	7	3500	42000	0	42000	42000	0
7	8	3000	36000	0	36000	21000	15000
8	9	3500	42000	0	42000	42000	0
9	10	3240	38880	0	38880	38880	0
		41040	**492480**		**492480**	**359480**	**133000**

सचिव
ग्राम पंचायत चेवा
विकास खण्ड सोलन
जिला सोलन (हि.प्र.)